# <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> <u>चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र0</u>

दांडिक प्रकरण क.- 370/02

संस्थित दिनांक— 05.10.2002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

 जसवंत सिंह पुत्र सुमेर सिह यादव उम्र 44 साल निवासी ग्राम मीठाखेड़ा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

### -: <u>निर्णय</u> :--

### (आज दिनांक 11.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा. विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक—27.07.2002 को दिन—03:35 बजे ग्राम मीठोखडा में डी०पी से टेलीफोन लाईन का नंगा तार डालकर अवैध तरीके से विद्युत उर्जा चुराकर तीन हार्स पावर की आटा चक्की चलाते हुये किनष्ठ यंत्री ए एस राणा के निरीक्षण के दौरान पाये गये।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि—24.08.2002 को दिन में 03:35 बजे म0प्र0रा0वि0म0 मुंगावली ए एस राणा के ग्राम मीठाखेडा निरीक्षण करने के दौरान अभियुक्त जसवंत सिंह यादव डी० पी० पर से टेलीफोन का नंगा तार लगाकर अपनी पाटोर में एक तीन एचपी की आटा चक्की चलाते हुये पाया गया जिसने न्यूट्रल हेतु नंगा एल्यमीनियम तार मंदिर के खंबे पर से डाला था। मौके पर कनिष्ठ यंत्री के द्वारा साक्षियों के समक्ष पंचनामा प्र0पी० 2 बनाकर टेलीफोन का नंगा एल्यमीनियम तार लगभग 100 फीट तार जप्त किया गया तथा आरोपी द्वारा मोटर को मौके पर जप्त नही

करने दिया गया और आरोपी झगडा करने पर उतारू हो गया, अभियुक्त द्वारा लगभग 2000 / — रूपये की विद्युत चोरी की गई। घटना के संबंध में उक्त कार्यवाही पर से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल मुंगावली के किनष्ट यंत्री ए० एस० राणा द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्र0पी0—6 पुलिस थाना चंदेरी में दिया गया, उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट प्र0पी0—8 लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—270 / 02 अंतर्गत धारा—379 भा0द0स0 व 39 भा. विद्युत अधिनियम 1910 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फसाया गया है।
- 04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्त दिनांक—27.07.2002 को दिन 03:35 बजे ग्राम मीठोखडा में डी0पी से टेलीफोन लाईन का नंगा तार डालकर अवैध तरीके से विद्युत उर्जा चुराकर तीन हार्स पावर की आटा चक्की चलाते हुये कनिष्ठ यंत्री ए0 एस0 राणा के निरीक्षण के दौरान पाये गये ?
  - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## –:: सकारण निष्कर्ष ::–

### विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2:-

05— मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के किनष्ट यंत्री अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि 13 वर्ष पूर्व की घटना है उस समय वह किनष्ट यंत्री वितरण केंद्र मीर का बार मुंगावली में पदस्थ था। इस साक्षी का कहना है कि वह घटना दिनांक को अपने स्टाफ लाईनमैन रविशंकर (अ०सा०—3) सिहत रमेश साहू (अ०सा0—1) व रामगोपाल (अ०सा0—5) के साथ ग्राम मीठाखेडी गया था। जहां उसने अभियुक्त जसवंत सिह को तीन हॉर्स पॉवर की आटा चक्की जो सिंगल फेस की था तथा कच्चे पत्थर के मकान में लगी थी, डी०पी० से तार डालकर चलाते हुये पाया था। इस साक्षी का कहना है कि अभियुक्त के पास विद्युत का कोई कनेक्शन नहीं था उसने लगभग तीन सौ फीट की दूरी से डी०पी० से तार डाल रखा था, जो उसने मौके पर जप्त किया था। अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) का कहना है कि उसने पंचमाना प्र0पी0—2 बनाया था जिसने पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

- 06— अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) ने अपने मुख्य परीक्षण में हालांकि की घटना का दिनांक एवं वर्ष स्पष्ट नहीं किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में यह स्पष्ट कथन दिये है कि उक्त घटना वर्ष 2002 की है और उस समय बारिश का समय था। इस साक्षी के द्वारा घटना के वर्ष एवं माह के संबंध में दिये गये कथनों की पुष्टि पंचनामा प्र०पी0—2 एवं थाने पर प्रस्तुत किये गये, आवेदन प्र०पी0—6 से होती है, जिसमें इस बात का उल्लेख हैं कि उक्त कार्यवाही वर्ष 2002 की होकर जुलाई माह की थी। अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में घटना के संबंध में जो कथन दिये हैं उक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे है तथा इस साक्षी के द्वारा बताई गई उपरोक्त घटना की पुष्टि थाने पर प्रस्तुत किये गये आवेदन प्र०पी0—6 एवं पंचनामा प्र०पी0—2 से भी होती है।
- 07— अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) ने अपने न्यायालीन कथनों मे यह स्पष्ट किया है कि घटना दिनांक को उनके साथ लाईन में रविशंकर ( अ०सा०—3 ) सिहत रमेश साहू ( अ०सा०—1) व रामगोपाल ( अ०सा०—5 ) मौके पर थे, अभियोजन की ओर से उपरोक्त तीनों साक्षियों के कथन अपने समर्थन में न्यायालय में कराये गये। रमेश कुमार ( अ०सा०—1 ) ने फरियादी अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये हैं कि अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सुपरवाईजर थे तथा वह उनके व रविशंकर ( अ०सा०—3 ) के साथ ग्राम मीडाखेडी गया था। इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ग्राम मीडाखेडी में अभियुक्त बिजली का तार डालकर गलत तरीके से अपनी चक्की चला रहा था तथा उसके पास बिजली का कनेक्शन नही था।
- 08— रिव शंकर सैन (अ०सा०—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनो में इस बात की पुष्टि की है कि 10—12 साल पहले वह किनष्ट यंत्री अरिवंद सिंह राणा (अ०सा०—6) रमेश कुमार (अ०सा०—1) के साथ ग्राम मीटाखेडी गये थे, जहां अभियुक्त सिंगल फेस की आटा चक्की डायरेक्ट कुंदी डालकर मंदिर वाली लाईन से चला रहा था। इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभियुक्त के पास कोई कनेक्शन नहीं था। रिवशंकर अ०सा० 3 ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि मौके पर अभियुक्त ने मोटर नहीं खोलने नहीं दी थी, परन्तु वह लोग लाईन का तार खींच कर ले आये थे।
- 09— रमेश कुमार ( अ०सा०— ) व रविशंकर ( अ०सा०—3 ) ने मौके पर किनष्ट यंत्री अरविंद सिंह ( अ०सा०—6 ) के द्वारा कि कार्यवाही के समर्थन में कथन देते हुये रमेश कुमार ( अ०सा०—1 ) नक्शा मौका मौके पर बनाया जाना स्वीकार करते हुये उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, वही रविशंकर ( अ०सा०—3 ) ने भी अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के द्वारा मौके पर की गई पंचनामा कार्यवाही की पुष्टि करते हुये उक्त पंचनामा प्र०पी०—2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। घटना के अन्य साक्षी रामगोपाल ( अ०सा०—5 ) ने हालांकि पूरी तरफ से अभियोजन घटना के समर्थन में अपने मुख्यपरीक्षण में कथन नहीं दिये, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2002 में मोटर के संबंध में कार्यवाही हुई थी तथा दीवान जी ने बिजली चोरी के संबंध में उससे पूछताछ की थी। घटना दिनांक को वह अरविंद सिंह राणा (

अ0सा0—6) के साथ मीठाखेडी गया था तथा मौके पर क्या कार्यवाही हुई इस संबंध में इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण में लिये गये कथन स्पष्ट नहीं है परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के कथन देने की दिनांक से घटना लगभग 14 वर्ष पूर्व की है।

- 10— रामगोपाल ( अ०सा०—5 ) के समक्ष ऐसी कई कार्यवाहियां उसके विरष्ठ अधिकारियों ने उसकी उपस्थिति में की होंगी। प्रत्येक व्यक्ति की याद रखने की शक्ति अलग अलग होती है अतः समय के साथ उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक है अतः ऐसे में समय के साथ इस साक्षी के कथनों में भी घटना का विस्तृत विवरण न दिया जाना भी समय अधिक हो जाने से आना स्वाभाविक है। जिसका प्रमाण यह है कि साक्षी के पक्षविरोधी होने के पश्चात अभियोजन की ओर से किये गये परीक्षण में इस साक्षी ने अभियोजन हाटना के समर्थन में यह कथन दिये की वह अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के साथ ग्राम मीडाखेडी में रविशंकर ( अ०सा०—3 ) व रमेश कुमार ( अ०सा०—1 ) के साथ गया था तथा मौके पर उन लोगो ने अभियुक्त जसवंत को डी०पी० से बिजली का तार डालकर विद्युत चोरी करने के संबंध में कार्यवाही की थी तथा मौके पर बिजली का तार अरविंद सिह राणा ( अ०सा०—6 ) के कहने पर उन्होने ने जप्त कर उसे भी अपने साथ लेकर आये थे।
- 11— अरिवद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के द्वारा अपने न्यायलीन कथनों पूरी तरह से अभियोजन घटना के समर्थन में कथन दिये हैं तथा साक्षी के कथनों में बचाव पक्ष घटना के संबंध में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने मे सफल नही हुआ है जिसके आधार पर इस साक्षी के द्वारा दी गई साक्ष्य एवं मौके पर की गई कार्यवाही पर संदेह किया जा सके। अरिवंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये, हमराह साक्षी रमेश कुमार ( अ०सा०—1 ) व रिवशंकर ( अ०सा०—3 ) सिहत रामगोपाल ( अ०सा०—5 ) ने कथन दिये हैं रमेश कुमार ( अ०सा०—1 ) और रिवशंकर ( अ०सा०—3 ) के न्यायालीन कथन भी इस संबंध में अखण्डित हे कि वर्ष 2002 में वह अरंविद सिह राणा ( अ०सा०—6 ) के साथ ग्राम मीठाखेडी गये थे, जहां अभियुक्त सिंगल फेस की तीन एच०पी० की आटा चक्की डायरेक्टर लाइन में तार डालकर चोरी से चलाता हुआ पाया गया।
- 12— अभियुक्त जसवंत वर्ष 2002 में ग्राम मीठाखेडी में आटे की चक्की से आटा पीसने का कार्य करता था तथा उसके द्वारा डीपी से तार डालकर आटे की चक्की चलाई जा रही थी इस संबंध में अरविंद सिंह राणा (अ0सा0—6) रविशंकर (अ0सा0—3) रमेश कुमार (अ0सा0—1) के द्वारा दी गई साक्ष्य उनके संपूर्ण परीक्षण में अखिण्डत हैं, स्वयं बचाव पक्ष की ओर से भी इस बात का कही खण्डन नही किया गया कि वर्ष 2002 में अभियुक्त ग्राम मीठाखेडी में आटे की चक्की चलाता था। रमेश कुमार (अ0सा0—1) के प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—3 में स्वयं बचाव पक्ष की ओर से आटै की चक्की मंदिर के पास होने का सुझाव दिया गया जिसे साक्षी ने स्वीकार भी किया है। ग्राम मीठाखेडी गाव के ही साक्षी सुरेंद्र सिह (अ0सा0—4) जो कि मौके पर हुई कार्यवाही का साक्षी है अपने न्यायालीन कथनो मे यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त जसवंत जो कि ग्राम मीठाखेडी का निवासी है के संबंध में 10—12 साल पहले छोटी चक्की के संबंध में उसके सामने

कार्यवाही हुई थी। सुरेंद्र सिंह (अ०सा०—4) के कथनों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वर्ष 2002 में जसंवत सिंह ग्राम मीठाखेडी में आटे की चक्की चलाता था। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि वर्ष 2002 में अभियुक्त ग्राम मीठाखेडी में आटे की चक्की चलाता था।

- 13— अभियुक्त जसवंत के पास कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था इस संबंध में उपरोक्त साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अपने न्यायालीन कथनों में अखिण्डत साक्ष्य दी है तथा इस संबंध में स्वयं अरंविद सिंह राणा (अ०सा०—6) के द्वारा प्र0पी0—10 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। उपरोक्त दस्तावेज का खण्डन तक बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया गया। अभियुक्त का कहीं यह कहना नहीं है कि वह वर्ष 2002 में विद्युत कनेक्शन धारी था यदि अभियुक्त के पास विद्युत कनेक्शन होता तो वह निश्चित रूप से प्र0पी0 10 के प्रमाणिकरण का खण्डन करते हुये अपने बचाव में इस आशय का कोई ना कोई प्रमाण अवश्य पेश करता। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त वर्ष 2002 में आटे की चक्की ग्राम मीठाखेडी में चलाता था तथा अभियोजन के अनुसार वह चोरी की बिजली से उक्त चक्की चलाता था जिसको प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से अभिलेख विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की गई अतः सबूत का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि वह विद्युत कनेक्शन होने तथा आटा चक्की चोरी की बिजली से न चलाने का प्रमाण पेश करे। यहा यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की ओर से संपूर्ण विचारण में इस आशय का कोई प्रमाण न तो प्रस्तुत किया गया और न ही अभियोजन साक्षियों के द्वारा उपरोक्त संबंध में दी गई साक्ष्य का ही खण्डन किया गया।
- 14— अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) घटना के समय किनष्ठ यंत्री थे, इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नही है तथा अन्य साक्षियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। प्र0डी0—1 का प्रमाण पत्र स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शित कराया गया है जो कि अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) के किनष्ठ यंत्री होने की पुष्टि करता है। अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) के द्वारा वर्ष 2002 में ग्राम मीठाखेडी में अभियुक्त जसवंत सिंह को डी०पी० से तार डालकर चोरी की बिजली से आटे की चक्की चलाते हुये पकडा था, इस संबंध में अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) के कथन अकाट्य व खण्डित हैं तथा पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं। अरविंद सिंह राणा (अ०सा०—6) के द्वारा बतायी गई घटना की पुष्टि हमराह साक्षी रमेश कुमार (अ०सा०—1), रविशंकर (अ०सा०—3) व रामगोपाल (अ०सा०—5) के कथनों से भी होती है।
- 15— अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा भले ही इस बात को चुनौती दी गई हो की ग्राम मीठाखेडी में घटना दिनांक को अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) की उपस्थिति का कोई प्रमाणिक दस्तावेज अभिलेख पर नही है। परन्तु मौके पर अरविद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के द्वारा जसंवंत सिंह के द्वारा आटे की चक्की चलाने के लिये डीपी से तार डालकर बिजली चोरी करना पाया गया इस संबंध में अभिलेख अन्य साक्षियों में पूरी तरह से अभियोजन के समर्थन में कथन दिये हैं। पंचनामा प्र०पी०—2 के साक्षी अमोल सिंह ( अ०सा०—2 ) ने भले ही अभियोजन का एवं मौके पर अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के द्वारा कि गई कार्यवाही के समर्थन में कथन न दिये

हो परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि सात—आठ साल पहले जब वह रास्ते से आ रहा था तो सादे कपड़ों में जीप में कुछ व्यक्ति आये थे जिन्होने उससे हस्ताक्षर करवाये थे। इस साक्षी ने प्र0पी 2 पर अपने हस्ताक्ष्मर होना स्वीकार किये हैं। अतः इस साक्षी के उपरोक्त कथनों से ही स्पष्ट होता है कि प्र0पी0—2 का पंचनामा मौके पर ही तैयार किया गया थां। पंचनामें के अन्य साक्षी सुरेद्र सिंह (अ0सा0—4) अरविंद सिंह राणा (अ0सा0—6) के द्वारा कि गई कार्यवाही की पुष्टि करते हुये यह कहता है कि 10—12 साल पहले जसवंत की छोटी चक्की के संबंध में कार्यवाही हुई थी तथा पंचनामें पर अरविंद सिंह राणा (अ0सा0—6) ने हस्ताक्षर कराये थे तथा इस साक्षी ने प्र0पी0—2 के पंचनामें पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार भी किये हैं। अतः इस साक्षी के भी कथनो से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम मीठाखेडी में अरविंद सिंह राणा (अ0सा0—6) के द्वारा अन्य विद्युत कर्मियों के साथ पहुचकर प्रपी 2 के पंचनामा कार्यवाही की गई थी।

16— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अरविंद सिंह राणा ( अ०सा0-6 ) के द्वारा न्यायालीन कथनों में बताई घटना पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर दर्शित नही होता है। अभियुक्त टेलीफोन के नंगें तार डालकर विद्युत चोरी कर रहा था इस संबंध में लगभग सभी साक्षियों ने अभियोनज के समर्थन में कथन दिये है। बचाव पक्ष के द्वारा अरविद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में मुख्य रूप से यह चुनौती दी गई है कि टेलीफोन के तार से आटे की चक्की नही चल सकती, वही कितना टेलीफोन का तार जप्त हुआ, उसके माप के संबंध में भी इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा प्रश्न किये गये हैं। अरविद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह स्पष्ट किया है कि सिगल फेस की मोटर छोटी होती है तथा इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि टेलीफोन के तार से मोटर नहीं चल सकती है। अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) विद्युत विभाग में कनिष्ठ यंत्री हैं जो कि विशेष रूप से इस बात का विशेषज्ञ है कि कितने एचपी की मोटर किस तार से चल सकती है। इस साक्षी ने कही भी यह स्वीकार नहीं किया कि टेलीफोन के तार से तीन एचपी की मोटर नहीं चल सकती है। बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा का कोई आधार भी प्रस्तुत नही किया गया। अतः ऐसे में टेलीफोन के तार से तीन एचपी की मोटर नहीं चल सकती है, इस संबंध में बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जहां तक जप्त शुदा तार का माप है तो अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) ने ही अपने परीक्षण मे यह स्पष्ट किया है कि उसने तार का माप लगभग लेख किया है। प्र0पी0-6 के आवेदन में भी तार की लंबाई अनुमान क आधार पर लेख की गई है। अतः ऐसे में बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा की तार का निश्चित माप स्पष्ट नही किया गया है, इस आधार पर स्वीकार नही है कि जप्ती के समय अरविद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह तार का माप स्केल से नाप कर उल्लेख करें, उस समय बिजली चोरी में उपयोग किया जा रहा तार कि जप्ती महत्वपूर्ण थी।

17— बचाव पक्ष की ओर से विद्धान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह प्रतिरक्षा ली है कि अरविद सिंह राणा ( अ0सा0—6 ) को विद्युत चोरी के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नही था। जिसके संबंध में अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में भी प्रश्न किये गये हैं। अरविद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) का कहना है कि प्रकरण में अधिकार की कॉपी लगी हुई है। यह उल्लेंखनीय है कि यदि उक्त अधिकार की प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं भी होती है तो भी कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग विद्युत अधिनियम की धारा-50 के तहत धारा 39 की कार्यवाही करने के लिये सक्षम एवं प्राधिकृत व्यक्ति होता है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दुष्टांत Hargyan Vs. State of M.P. 2003 Cri.L.J. Page 2936 (M.P.), The State of M.P.VERSUS Ganesh Criminal Appeal No.1774/95 में प्रतिपादित विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि "An officer of the Electricity Board, who is incharge of the area detects the theft of electricity is duty bound to lodge the complaint with the police and at that time he will be a person aggrieved. During performance of his duties if he detects some electricity thefts or dishonest abstraction, abstraction of any of the energy, then the officer of the said Electricity Board is competent to file a complaint on behalf of the said Electricity Board and the complaint cannot be thrown out on the technicality that the complaint was not lodged by a competent person. Such complaint at the instance of the officer of the Electricity Board who is incharge to look after the affairs of the Electricity Board in a particular area will be maintainable and on such complaint police can initiate investigation and is competent to file challan if on investigation the allegation is found to be correct. Therefore, we hold that the complaint can be lodged by any of the officer of the Electricity Board appointed at a particular place to look after supply of the Electricity. The Board is also competent to authorise an officer to lodge complaint by passing a resolution".

18— अतः उपरोक्त आधार पर कनिष्ठ यंत्री अरविंद सिह राणा ( अ०सा०—६ ) के द्वारा कि गई कार्यवाही विधि पूर्ण हैं। अरविद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) की ओर से थाने पर प्रस्तुत किये गये आवेदन प्र0पी0-6 पर अभियुक्त विरूद्ध सहायक उपनिरीक्षक अभिमन्यू सिंह अ०सा० ८ के द्वारा विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर अरविंद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) के द्व ारा मौके से जप्त किये गये तार को थाने पर प्रस्तुत होने पर साक्षी सलीमुद्दीन ( अ0सा0-7 ) के समक्ष जप्त किया गया है, जिसकी पुष्टि स्वयं सलीमुद्दीन ( अ0सा0-7 ) अपने न्यायालीन कथनों में करते हुये प्र0पी0-7 के जप्ती पत्रक पर अपने हस्ताक्षर . होना स्वीकार किये हैं। अरविंद सिंह राणा ( अ0सा0–6 ) के द्वारा मौके पर बनाया गया, नक्शा मौका प्र0पी0-9 संपूर्ण स्थिति स्पष्ट करता है कि किस तरह से अभियुक्त के द्वारा डीपी से टेलीफोन का तार डालकर उससे आटा चक्की चलाई जा रही थी। बचाव के पक्ष के द्वारा साक्षियों के कथनों में इस आशय का विरोधाभास लाने का प्रयास अवश्य किया गया है कि अभियुक्त द्वारा डाला गया तार डी०पी० पर डला था अथवा खंबे पर जिसके संबंध में अरविद सिंह राणा ( अ०सा०-6 ) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि दो खंबों पर डीपी रखी थी जिससे अभियुक्त विद्युत चोरी कर रहा था। इस संबंध में साक्षियों के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभास भी महत्व हीन है, जिसके आधार उनकी संपूर्ण साक्ष्य नकारी नही जा सकती है।

- 19— अभिलेख पर अरविद सिंह राणा ( अ०सा०—6 ) के द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही एवं घटना के संबंध में अभियोजन के समर्थन में अखिण्डत साक्ष्य दी है। जिसकी पुष्टि अन्य साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में भी की है। अभियुक्त अपने बचाव में ऐसी कोई युक्तियुक्तप्रतिरक्षा प्रस्तुत करने में या अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन घटना प्रमाणित होती है। अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त जसवंत दिनांक—27.07.2002 को दिन 03:35 बजे ग्राम मीठाखेडा में डी०पी० से टेलीफोन लाईन का नंगा तार डालकर अवैध तरीके से विद्युत उर्जा चुराकर तीन हार्स पावर की आटा चक्की चलाते हुये किनष्ठ यंत्री ए० एस० राणा के निरीक्षण के दौरान पाया गया।
- 20— फलस्वरूप अभियुक्त जसवंत सिंह पुत्र सुमेर सिंह यादव के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा—39 के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त जसवंत सिंह पुत्र सुमेर सिंह यादव को भा०दं०वि० की धारा 39 भा. विद्युत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 21— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

22— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर विद्युत चोरी करने के आरोप हैं जिस का दुष्परिणाम निश्चित रूप से समाज पर होता है अतः ऐसे में उक्त अपराध के लिये अभियुक्त के साथ सहानभूति रखना न्यायोचित नहीं है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरांत एवं प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त जसवंत पुत्र सुमेर सिंह को विद्युत अधिनियम की धारा 39 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 / — रूपये (एक

(9)

हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 1 माह (एक माह ) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

23— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बाद मियाद अपील विद्युत विभाग को विधिवत निराकरण हेतु सुपुर्द किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)